न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–10/17 (2017/00023) वाद पत्र

उनवान

1–लक्ष्मणदास आत्मज मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर
2–छगनदास आत्मज मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर
3–गोपालदास आत्मज मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर
4–ज्ञानीबाई बेवा मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–नैनादास आत्मज मोहनदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–हीरादास वल्द मोहनदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5–नारू पिता प्रताप कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–नैना पिता रेवता गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–रेखा पिता गोमा गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–सोहन पिता नगंजी कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–पप्पुदेवी पत्नि रमेश कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–अमरचन्द पिता करमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. सुनील बापना – वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.04.2022

पत्रावली में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रूपाखेड़ा पटवार हल्का भींटा में वादीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात संख्या 354 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 357 रकबा 0.50 है0, आराजी नम्बर 356 रकबा 0.51 है0, आराजी नम्बर 358 रकबा 0.51 है0, आराजी नम्बर 1016/356 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 133 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 134 रकबा 0.14 है0, आराजी नम्बर 137 रकबा 0.42 है0, आराजी नम्बर 139 रकबा 0.31 है0, आराजी नम्बर 135 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 1015/356 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 1017/358 रकबा 0.32 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.84 ... स्थित है। उक्त आराजियात नवलदास के खाते में चल रही थी नवलदास जी ... पर हजारीदास उनका वरिष्ठ पुत्र होने से पुरा खाता उनके ... हो गया ... हजारीदास के फोत होने पर उनके पुत्र मोहनदास, घीसुदास, मागीदास व ... हुए जिनमें से घीसुदास व सुरदास लाऔलाद फोथ होने से उनका आगे वंश नही चला ... 2 लड़के मोहनदास व मांगीदास रहे जिनमें से वरिष्ठ पुत्र मोहनदास के नाम पुरा खाता खुल गया और बाद की जमाबन्दीयो में मोहनदास के नाम पर आराजियात चलती रही और उनके फोत हो जाने से उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:28 IST
Reason: SelfAttested

वारीस के नाम खाता विरासत से अकिंत हो गया। मोहनदास की लड़किया सोहनी, सायरी, तुलछी ने अपना हिस्सा हीरादास प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क कर दिया मोहनदास की विधवा मांगीबाई के फोत होने पर खाता विरासत से उनके पुत्र नैनादास, हीरादास व पुत्रीया सोहनी, सायरी, तुलछी के नाम पर दर्ज हुआ बाद में सोहनी सायरी तुलछी ने अपना हिस्सा हीरादास के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिए वर्तमान में खाता प्रतिवादी नैनादास व हीरादास के नाम पर चल रही है। किन्तु वर्तमान में आधे हिस्से पर वादीगण का व आधे हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा चल रहा है। उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा 2 बीघा जमीन नेना पिता रेवत गुर्जर प्रतिवादी संख्या 6 को, 2 बीघा भूमि रेखा गुर्जर प्रतिवादी संख्या 7 को, 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि सोहन पिता नगंजीराम कुमावत प्रतिवादी संख्या 8 को, 2 बीघा भूमि रूपा पिता एंकलिग कुमावत को, 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अमरचन्द कुमावत प्रतिवादी संख्या 10 को, व पूरणमल पिता दल्ला कुम्हार थोरियाखेड़ा व पूरणमल ने प्रतिवादी संख्या 9 को विक्रय कर दी जो वर्तमान में भूमि केतागण के नाम चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त विक्रयशुदा आराजियात में आधा हिस्सा ही था किन्तु गलत रूप से उनके नाम प्रविष्ठी हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि से अधिक रकबा अलग अलग केताओ को विक्रय कर दिया जिससे बंटवारा होने पर उनके हिस्से का रकबा कम होगा। वादवर्णित आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वजो के समय की मौरूषी कृषि भूमि है किन्तु हजारीदास नवलदास का वरिष्ठ पुत्र होने से अकिंत हो गयी। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस्तकरार हक बाबत् खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी कराई जावे कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 व 3 में वर्णित आराजियात में वादीगण का आधा हिस्सा है किन्तु वादपत्र की कलम नम्बर 4 में वर्णित जमीनें जो कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने विक्रय कर दी है वे जमीनें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में रहेगी। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात को किसी के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करे, करावे। बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादीगण का खाता अलग कराया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 11 फौरमल पक्षकार जिससे कोई राहत नही चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:28 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है और वाद पत्र के साथ वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगणो के पक्ष में डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन रिकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादीगण के द्वारा वाद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज नवलदास के खाते में साबिक आराजी संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32, 33, 149,

265/149, कुल रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज होना वाद के कलम संख्या 3 में अकिंत किया गया है किन्तु वादीगण की ओर से इस कलम में वर्णित तथ्य के सम्बन्ध में नवलदास के नाम की या हजारीदास, गोमादास, हरीरामदास के नाम की कोई साक्ष्य के रूप में नकल वाद पत्र के साथ सलग्न नही की गई जिससे कि वादीगण के कथन को बल मिलता हो। वादीगण के द्वारा संवत 2008 जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की प्रस्तुत की जो प्रदर्श 2 है जिसमें वर्णित आराजी संख्या 30 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 33 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि किता 2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि का रेकार्ड ही पेश किया है जो मोहनदास वल्द हजारीदास एवं हरिराम, गोमा पिता नवलराम बैरागी के नाम दर्ज रेकार्ड है। अर्थात वादीगणो के पूर्वजो के नाम की भूमि साबिक आराजी संख्या 30 व 33 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही दर्ज रेकार्ड थी शेष आराजियात नवलदास या उनके तीनो लड़को के नाम दर्ज होने की कोई जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत नही की गई। इसके साथ ही जो साबिक आराजी संख्या 30 व 33 जो नवलदास के तीनो लड़को के नाम दर्ज है उनके नवीन भू प्रबन्ध में कौन कौन से नम्बर दर्ज हुए जिसको वादीगण की पैतृक जमीन मानी जा सकती है इस बाबत् भी कोई मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति पत्रावली में प्रस्तुत नही की गई है जिससे की वादीगण के कथन को बल मिलता हो। वादीगण के द्वारा वाद के समर्थन में लक्ष्मणदास के बयान कराये गये जो एक औरल (मौखिक) साक्ष्य है। वाद वादीगणो की पैतृक भूमि होने से पेश किया गया है किन्तु वादीगण की ओर से पैतृक भूमि है या नही इस बाबत् पुख्ता दस्तावेज के अभाव में वाद चलने योग्य नही है। इसके साथ ही वादीगण के द्वारा अपने वाद के कॉलम संख्या 4 में स्वयं यह स्वीकार कर अकिंत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा भूमि अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर दी गई है। विक्रय कब किया इसका कोई विवरण वाद में स्पष्ट अकिंत नही है, अगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को भूमि का विक्रय अपने हक से अधिक भूमि का विक्रय किया गया हो तो इस बाबत् विक्रय पत्र को भी चैलेंज किया जा सकता है जो नही कर इस न्यायालय में वाद पेश किया गया है। अगर वादीगण के द्वारा वाद के कॉलम नम्बर 3 में जो भूमि पैतृक बतायी गई है उस बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राजस्व रेकार्ड की प्रति पेश की जाती तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता था किन्तु इस प्रकरण में वादीगण अपने वाद के समर्थन में पुरा रेकार्ड प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 के तहत् प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:28 IST
Reason: SelfAttested

28/04/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—10/17 (2017/00023) वाद पत्र

उनवान

1—लक्ष्मणदास आत्मज मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर
2—छगनदास आत्मज मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर
3—गोपालदास आत्मज मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर
4—ज्ञानीबाई बेवा मांगीदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—नैनादास आत्मज मोहनदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—हीरादास वल्द मोहनदास वैष्णव निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5—नारू पिता प्रताप कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नैना पिता रेवता गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—रेखा पिता गोमा गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—सोहन पिता नगंजी कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—पप्पुदेवी पत्नि रमेश कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—अमरचन्द पिता करमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 के तहत् प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

28/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:28 IST
Reason: SelfAttested